अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों का अधिग्रहण

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

इस प्रतिवेदन में 'अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपीज) के लिए हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण' पर लेखापरीक्षा द्वारा की गयी जांच के परिणामों को शामिल किया गया है। यह प्रतिवेदन अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों की अधिग्रहण प्रक्रिया पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना से संबंधित मिसिलों एवं दस्तावेज़ों की संवीक्षा से तैयार किया गया है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलिकॉप्टरों की अधिग्रहण प्रक्रिया में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुपालन के संबंध में भी जांच की गयी। आपराधिक या फोरेंसिक दृष्टि से जांच करने के लिए लेखापरीक्षा न तो सज्जित है और न ही सशक्त है।

विद्यमान बेड़े के परिचालन परिसीमन की दृष्टि से तथा साथ ही उनके कुल तकनीकी जीवनकाल (टीटीएल) की आसन्न समाप्ति के कारण वायुसेना मुख्यालय द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को हवाई परिवहन उपलब्ध कराने के लिए हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण की आवश्यकता प्रक्षिप्त की गयी थी। अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया की अनुपालन लेखापरीक्षा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अभिव्यक्त निर्धारित कार्यविधियों के साथ अनुरूपता तथा उनकी अनुपालन पारदर्शिता, सत्यनिष्टा और सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों के पालन की जांच के उद्देश्य से की गयी थी।

यह अवलोकन किया गया कि सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं (एसक्यूआर) की संरचना से लेकर संविदा करने तक वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया निर्धारित कार्यविधियों से विचलित हो गयी। सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं की संरचना और उनके संशोधन की प्रक्रिया ने न केवल सफल बोली लगाने वालों की संख्या को सीमित किया, अपित् इससे उड़ान की अनिवार्य अधिकतम सीमा को कम करने के कारण परिचालन हानि भी हुई। सेवाओं की गुणात्मक आवश्यकताओं के परिशोधन के बाद भी अधिग्रहण प्रक्रिया के कारण एकल विक्रेता वाली स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई। विभिन्न कार्यविधियों का अनुसरण करते हुए सूचीबद्ध हेलिकॉप्टरों का मूल्यांकन किया गया, जिसने यह वांछित आश्वासन नहीं दिया कि सूचीबद्ध विक्रेताओं को समान अवसर उपलब्ध कराया गया था। फील्ड मृल्यांकन परीक्षण (एफईटी) विदेश में प्रतिनिधि हेलिकॉप्टरों पर किए गए, न कि अगस्ता वेस्टलैंड के वास्तविक हेलिकॉप्टर (एडब्ल्यू-101) पर। फील्ड मूल्यांकन परीक्षण के चरण में भी, इस कंपनी द्वारा प्रस्तावित हेलिकॉप्टर अभी विकास की अवस्था में ही था। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क मृल्य अवास्तविक था और अनुमानित मूल्य एवं प्रस्तावित मूल्य के साथ उसका कोई सहसंबंध नहीं था और इस प्रकार एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टरों के अधिप्राप्ति मूल्य के औचित्य के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए कोई यथार्थपरक आधार प्रदान नहीं किया जा सका। यह भी अवलोकन किया गया कि 11 वर्षों की अवधि के लिए विद्यमान बेड़े के निम्न उपयोगिता स्तरों की विगत प्रवृत्ति, चार हेलिकॉप्टरों की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के लिए मंत्रालय के तर्क को न्यायसंगत नहीं ठहराती है। अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में असाधारण विलंब के कारण भारतीय वायुसेना विद्यमान हेलिकॉप्टरों पर निरंतर परिचालन हानि का सामना करती रही। इसके अतिरिक्त, यह अवलोकन किया गया कि रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के उल्लंघन में ऑफसेटों को अनुमति दी गई। इस प्रकार, अधिग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा संविदा को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता के अभाव पर गंभीर प्रश्न उठाती है, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 10 पृष्ठ ii